

उत्तराखण्ड सरकार



उत्तराखण्ड शासन

Proposal No. ...FP/UK/ROAD/155241/2022

वृत्त का नाम :- सातवां वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर

खण्ड का नाम :- प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी० ।

क्षेत्रफल :-

सिविल वन पंचायत भूमि	—	0.350 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	—	0.0000 हेक्टेयर
नाप भूमि	—	1.0850 हेक्टेयर
मलवा निस्तारण हेतु नापभूमि	—	0.0900 हेक्टेयर
मलवा निस्तारण हेतु सिविल वन पंचायत भूमि	—	0.0000 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	—	1.5250 हेक्टेयर

वांछित क्षेत्रफल — 0.350 हेक्टेयर

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने

के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

वन भूमि पर प्रस्तावित सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण।

सारणी-4

क्र०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
	विषय सूची मय प्रमाण पत्र		
1	प्रतिवेदन	1	06
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	08-12
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	3	13-15
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	4	17-24
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (SIR)	5	25
6	1:50000 पैमाने का टोपोगीट मानचित्र	6	26
7	डिजिटल मैप व सी0डी0	7	28
8	वैकल्पिक संरेखण तलासे जाने एवं उन्हें निरस्त करने का कारण मय तुलनात्मक विवरण	8 व 9	29-30
9	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र	10	31
10	प्रभावित भूमि का लैण्ड शिडयूल	11 व 11.1	32
11	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई	12	33
12	बार चार्ट	13	34
13	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र	14	35
14	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार /व्यासवार विवरण एवं मूल्यांकन /सांरांश /वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़	15 से 15.6	36
15	बांज प्रजाति वृक्षों प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाणपत्र	16	37
16	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	17	-
17	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र	17.1	38
18	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क /वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र	18	39
19	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क /वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र।	19	40-41
20	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (वन्यजीव क्षेत्रों के लिए)	20	42
21	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र	21	43-46
22	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर लागत लाभ विश्लेषण की सूचना अंकित करना (5.00 हे० क्षेत्रफल से आधिक्य के प्रकरणों में लागू)	22 से 22.2 तक	47
23	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र	23 से 23.3 तक	49-66
24	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या	26	67-69
25	भूवैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र	27	70
26	पर्वतीय क्षेत्रों में टास्कफोर्स की संस्तुतियां मान्य होने का प्रमाण पत्र	28	71
27	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र	29	72
28	प्रस्तावित स्थल धार्मिक /पौराणिक /ऐतिहासिक महत्व का होना अथवा न होने का प्रमाण पत्र	30	73-74
29	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण पत्र	31	75
30	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल /कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र।	32	76
31	लाभान्वित होने वाले ग्रामों /जनसंख्या /परिवारों के विवरण का प्रमाण पत्र	33	77
32	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	35	78 -

33	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र	36	78
34	सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन	38	80
35	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन (एक हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	82
36	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों के प्राक्कलन	41	83-86
37	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एनपीवी की धनराशि का आंकलन	42	87
38	एनपीवी की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र	43	89
39	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का विवरण (यदि लागू हो)	46	90
40	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी.डी0 पीडीएफ फारमेट में	48	91-93
41	अन्य प्रपत्र		94-107

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत चोपडा उडामाण्डा (पीएमजीएसवाई) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड) होते हुए बैंजी काण्डई (अनु० बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.05 किमी०

इस मार्ग के नव निर्माण की स्वीकृति जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या 334/विविध/2018-19 दिनांक 25.01.2019 द्वारा लम्बाई 3.00 किमी० हेतु लागत रु० 37.80 लाख की हेतु प्राप्त है। छाया प्रति संलग्न हैं।

यह मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के उपरान्त मार्ग की वास्तविक लम्बाई 2.050 किमी० आती है। यह मार्ग पूर्व निर्मित चोपडा उडामाण्डा मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम जरम्वाड से प्रारम्भ होकर कोटखाल जगतोली मोटर के अन्तिम बिन्दु पर मिलने के पश्चात बैंजी काण्डई तक जायेगा। जिससे इस क्षेत्र का तीव्र गति से विकास होगा। व यातायात के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा स्थानीय उत्पाद जैसे धान, गेहूँ, केला, सब्जी, माल्टा आदि को बाजार तक लाने में सुविधा होगी। जिस हेतु यह वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त मार्ग के संरेखण में पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है—

भूमि का प्रकार—

सिविल वन पंचायत भूमि	—	0.350 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	—	0.0000 हेक्टेयर
नाप भूमि	—	1.08500 हेक्टेयर
मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि	—	0.0900 हेक्टेयर
मलवा निस्तारण हेतु सिविल वन पंचायत भूमि	—	0.0000 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	—	1.5250 हेक्टेयर

वांछित क्षेत्रफल	—	0.350 हेक्टेयर
-------------------------	----------	-----------------------

उक्त प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग को 0.350 है० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग